न्यायालय सिविल जज, (सीनियर डिवीजन), पीलीभीत।

CNR No. UPPB 05-000706-2022

मूल वाद सं0–407 / 2022

रूप लाल आदि ———————————————————— **वादीगण**

बनाम

विकास सक्सेना ———————————————————— **प्रतिवादी**

दिनांक 21.01.2023

पत्रावली आदेश हेतु नियत होकर पेश हुई।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को अंतरिम निषेधाज्ञा प्रार्थना–पत्र 6ग पर पूर्व नियत तिथि को सुना जा चुका है।

निस्तारण अंतरिम निषेधाज्ञा प्रार्थना–पत्र कागज सं. 6ग–

वादीगण की ओर से अंतरिम प्रार्थना–पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 सी0पी0सी0 कागज सं. 6ग, समर्थित शपथ–पत्र कागज सं. 7ग, इस आशय के साथ प्रस्तुत किया गया है कि–वादीगण व प्रतिवादी नं0 3 लगायत 9 खतौनी खाता संख्या 258 गाटा संख्या 475 रक्वा 1.50 एकड़ यानि 0.6070 हे० स्थित ग्राम अमखेड़ा लखनऊ, परगना तहसील बीसलपुर, जिला पीलीभीत जिसे नक्शा वादपत्र में बिन्दु अ,ब,स,द,य,र, से दर्शाया गया है तथा चौहद्दी पूरब में तालाब, पश्चिम में बाग बाबूराम आदि, उत्तर में खेत मोहन लाल आदि एवं दक्षिण में खेत वीरेन्द्र प्रसाद आदि है, के 4 / 5 अंश के संक्रमणीय भूमिधर / सह–खातेदार स्वामी व अध्यासित हैं एवं वादीगण के अध्यासन वाले अंश को नक्शा वादपत्र में बिन्दु क,ख,ग,स, एवं हरी इंक से दर्शाया गया है। वादग्रस्त गाटा में वादीगण व प्रतिवादी नं0 3 लगायत 9 के स्वरोपित पेड़ आम 10. अमरूद 4, कटहल 4, जामुन 10 इमली 1, शीशम 20 शहतूत 1, पापुलर 18, यूकेलिप्टस 275, गलगल 3, अनार 1, नींबू 1, आंडू 1 पेड़ एवं धान व गन्ना की फसल मौजूद है। अरसा करीब एक डेढ़ माह पूर्व वादी नं० 1 खेत पर फसल की देख–रेख करने हेतु मौजूद थे तभी प्रतिवादी नं0 2 अपने साथ 2–3 अज्ञात व्यक्तियों को लेकर आयी और वादी नं० 1 से कहा कि इस खेत में से 3 बीघा खेत मैंने हल्द्वानी के विकास शर्मा से खरीदा है मेरा दाखिल खारिज हो गया है फसल काटकर खेत मत जोतना फसल हम बोयेंगे जिसपर वादी नं0 1 ने कहा कि विकास सक्सेना का मात्र 1 / 5 अंश है, उसका कभी कब्जा रहा न अब है, खेत हमारा है फसल तुम्हें नहीं बोने देंगे। विकास सक्सेना के 1 / 5 अंश पर प्रतिवादी नं0 3 लगायत 9 का कब्जा रहा है व अब भी है। तत्पश्चात वादीगण ने उक्त प्रतिवादी नं0 2 की बात की सत्यता जानने हेतु मुहाफिस खाना माल में मुआयना कराया और आवश्यक नकलें बनवायीं तो ज्ञात हुआ कि प्रतिवादी नं0 1 के पिता ने वादग्रस्त गाटा का विभाजन कराने हेतु राजस्व वाद संख्या 74 / 17.04.68 कामता प्रसाद आदि बनाम जगदम्बा प्रसाद आदि धारा 176 / 178 ज0वि० एवं भू० व्यय० अधि0 योजित किया था जोकि दिनांक 26.10.68 को अदम पैरवी में निरस्त हो गया था। तत्पश्चात प्रतिवादी नं० 1 के पिता काम्ता प्रसाद ने वाद सं0 39 / 05.06.69 / 10 / 1972 निर्णीत दिनांक 20.05.1980 काम्ता प्रसाद आदि बनाम जगदम्बा प्रसाद आदि धारा 176 / 178

ज0वि0 एवं भू० व्यय० अधि0 योजित किया जिसमें वादग्रस्त भूमि का विभाजन न कराकर विधि विरूद्ध ढंग से अपने हक में नीलामी कराकर वादीगण के नाम निरस्त करा दिये। उक्त दोनों वादों में वादीगण व पूर्वजों को विधिवत् कोई सम्मन नोटिस प्राप्त नहीं हुए तथा नीलामी को प्रतिवादीगण अब तक छुपाये रहे तथा वादग्रस्त भूमि का कब्जा भी प्रतिवादीगण को हस्तगत नहीं हुआ। चकबन्दी प्रक्रिया से अब तक वादग्रस्त भूमि का कोई कानूनी विभाजन नहीं हुआ है वादीगण व प्रतिवादी नं0 3 लगायत 9 संयुक्त रूप से अध्यासित चले आ रहे हैं। वादीगण राजस्व वाद संख्या 10/1972 में पारित आदेश दिनांक 20.05.1980 को अपास्त कराने हेतु परगनाधिकारी महोदय बीसलपुर के न्यायालय में उचित चाराजोई करेंगे। प्रतिवादी नं0 1 ने वादग्रस्त भूमि का 1/3 भाग विधि विरूद्ध ढंग से प्रतिवादी नं0 2 के हक में विक्रय कर दिया है जिस विक्रय पत्र का पंजीयन वही संख्या 1 जिल्द संख्या 7203 पृष्ठ संख्या 31 से 46 तक क्रमांक 2465 पर दिनांक 25.03.2022 को उपनिबन्धन कार्यालय बीसलपुर में किया गया है जोकि अधिकार व कब्जा विहीन, कूटरचित व शून्य प्रभावी अवैध दस्तावेज है जिसके आधार पर प्रतिवादी नं0 2 को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं, क्योंकि वादग्रस्त भूमि का 1/3 अंश विक्रय करने का अधिकार प्रतिवादी नं० 1 को प्राप्त नहीं था न उनका कब्जा था। प्रश्नगत विक्रय पत्र अस्तित्व में बने रहने से वादीगण को निहायत हकतल्फी व अपूर्णनीय क्षति होगी। तद्नुसार प्रश्नगत विक्रयपत्र निरस्त किया जाना परमावश्यक है। दिनांक 30.10.2022 को प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि पर आये और एक राय होकर वादीगण के अध्यासन वाले अंश से वादीगण को बेदखल कर कब्जा नाजायज करने का असफल प्रयास किया। वादीगण आस–पास में खेतों पर मौजूद लोगों की मदद से अनुनय विनय कर जैसे–तैसे कब्जा करने से रोक पाया तथा प्रतिवादी नं० 1 व 2 से प्रतिवादी नं० 2 के हक में निष्पादित विक्रयपत्र निरस्त कराने को कहा तो मना करते हुए कहा कि कब्जा नहीं करपाये तो जमीन की पुनः बिक्री कर देंगे और प्रतिवादीगण आयन्दा कब्जा करने की धमकी देकर चले गये। प्रतिवादी नं0 3 लगायत 9 भी प्रतिवादी नं० 1 व 2 का सहयोग कर वादीगण को बेदखल करना चाहते हैं जिसका उन्हें कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। वादीगण ने प्रतिवादीगण के उक्त बेजा कृत्य की शिकायत क्षेत्रीय पुलिस व उच्चाधिकारियों से की तो पुलिस वालों ने मामला दीवानी का बताकर अदालत से स्टे लाने को कहकर मदद करने से मना कर दी। प्रतिवादीगण धनाढ्य व राजनैतिक प्रभाव शाली व्यक्ति हैं और उन्होंने यदि वादग्रस्त भूमि पर कब्जा नाजायज कर लिया तो वादीगण को निहायत हकतल्फी व अपूर्णनीय क्षति होगी जिसकी भरपाई धन में हो पाना सम्भव नहीं होगा। दावा वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रथम दृष्टया सिद्ध है तथा न्यायिक तुला का सन्तुलन भी वादीगण के पक्ष में है। अतः प्रतिवादीगण को दौरान मुकदमा जरिये अंतरिम निषेधाज्ञा निषेधित किया जाये।

प्रतिवादी सं. 1 लगायत 9 की ओर से आपत्ति कागज सं. 20ग मय प्रतिशपथ–पत्र कागज सं. 21 प्रस्तुत की गयी है, जिसमें प्रतिवादीगण ने कथन किया है कि विवादित कृषि भूमि गाटा सं. 475 रकवा 0.6070 हे0 स्थित ग्राम अमखेड़ा लखनऊ, परगना तहसील बीसलपुर जिला पीलीभीत के वादीगण श्रेणी 1क के संक्रमणीय भूमिधर व सह–खातेदार नहीं हैं। वादीगण का उक्त भूमि पर कोई कब्जा नहीं है। वादीगण ने उक्त भूमि पर कोई पेड़ नहीं लगाये हैं। वादीगण व उनके पूर्वजों के नाम परगनाधिकारी बीसलपुर के आदेश दिनांक 20.05.80 को निरस्त करके उनके स्थान पर प्रतिवादी सं. 1 के पिता कामता प्रसाद पुत्र दर्शन लाल नि0 बरखेड़ा कला का नाम दर्ज कर दिया गया। कामता प्रसाद की मृत्यु के पश्चात बतौर वारिस प्रतिवादी सं. 1 विकास सक्सेना का नाम माल कागजात में दर्ज हो गया। विकास सक्सेना ने अपने हिस्से 1/3 भाग को प्रतिवादी सं. 2 भगवान देवी के हाथ बेच दिया इसलिए प्रतिवादी सं. 2

गाटा सं. 475 के 1/3 भाग पर वरवक्त बैनामा से काबिज है और उसकी मालिक है। वादीगण के नाम लगभग 42 वर्ष पूर्व से गाटा सं. 475 से निरस्त कर दिये गये हैं अब वादीगण उक्त खेत में सह–खातेदार नहीं हैं। वादीगण का उक्त खेत पर कब्जा भी नहीं है इसलिए वादीगण का गाटा सं. 475 में कोई हित निहित नहीं हैं। वादीगण को प्रतिवादीगण के स्वामित्व, कब्जे व अधिकारों में हस्तक्षेप करने का कोई हक नहीं है। कागजात माल में प्रतिवादीगण का नाम श्रेणी 1क के संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है तथा प्रतिवादीगण उक्त खेत पर काबिज हैं और खेती करते चले आ रहे हैं। वर्तमान में वादीगण उक्त खेत में सह–खातेदार नहीं हैं। वादीगण अस्थाई व्यादेश प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं अतः प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

वादीगण की ओर से प्रतिउत्तर शपथ–पत्र कागज सं. 24क दाखिल किया गया है जिसमें वादीगण ने प्रार्थना–पत्र 6ग व शपथ–पत्र 7ग के कथनों की पुर्नपुष्टि की है तथा आपत्ति 20ग व प्रतिशपथ–पत्र 21ग के कथनों का खण्डन करते हुए कथन किया है कि मनोहर लाल को मुकदमें के सम्बंध में कोई ज्ञान नहीं है। वादग्रस्त भूमि पर मात्र वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 3 लगायत 9 के द्वारा रोपित पेड़ विद्यमान हैं। प्रतिवादी सं. 1 व 2 किसी अंश पर अध्यासित नहीं है। प्रतिवादी सं. 1 के पिता काम्ता प्रसाद व उनके भाई कामोद प्रसाद ने वादग्रस्त भूमि के विभाजन हेतु जो विभाजन वाद अन्य सह–खातेदारान के विरूद्ध दायर किया था, में कथित नीलामी विधिनुसार नहीं की गयी है। प्रतिवादी सं. 1 के पिता काम्ता प्रसाद के द्वारा वादीगण के पूर्वजों के अंश का नीलामी प्रतिफल जमा नहीं किया गया और वादीगण के पूर्वजों के नाम राजस्व अभिलेखों से विधि विरूद्ध ढंग से निरस्त कर दिये गये। तद्नुसार वादीगण के पूर्वजों के अंश का नीलामी प्रतिफल जमा न करने से वादीगण के पूर्वजों के अंश पर काम्ता प्रसाद व कामोद प्रसाद को वादीगण के पूर्वजों का स्वामित्व प्राप्त नहीं हुआ था लिहाजा जिससे प्रतिवादी सं. 1 के द्वारा प्रतिवादी सं. 2 के हक में निष्पादित प्रश्नगत विक्रय पत्र अधिकार, कब्जा विहित अवैध दस्तावेज है जिसके आधार पर प्रतिवादी सं. 2 को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। वादीगण के द्वारा उक्त वर्णित राजस्व वाद में पारित एक पक्षीय आदेश दिनांक 20.05.80 को पुर्नस्थापित कराने हेतु सम्बंधित राजस्व न्यायालय में आवश्यक कार्यवाही की जा चुकी है एवं चकबंदी प्रक्रिया से अब तक वादीगण वादग्रस्त भूमि पर सतत रूप से अध्यासित चले आ रहे हैं। प्रतिवादी सं. 1 व 2 अध्यासित नहीं है। तद्नुसार वादीगण का अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर प्रतिवादीगण को वादीगण के शांतिपूर्ण अध्यासन में हस्तक्षेप करने से दौरान विचारण वाद अंतरिम रूप से निषेधित किया जाना परमावश्यक है, अन्यथा वादीगण को निहायत हकतल्फी व अपूर्णनीय क्षति होगी।

प्रतिवादी भजन लाल की ओर से प्रतिउत्तर शपथ–पत्र का उत्तर शपथ–पत्र कागज सं. 26ग दाखिल किया गया है, जिसमें प्रतिवादीगण का कथन है कि वादीगण के पूर्वजों के नाम परगनाधिकारी बीसलपुर के आदेश दिनांक 20.05.1980 को निरस्त कर दिये गये उनके नाम निरस्त हुए लगभग 42 वर्ष हो चुके है। वर्तमान खतौनी में प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हैं तथा खसरे में भी पेड़ व फसलें प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हैं। प्रतिवादीगण गाटा सं. 475 पर अपने अपने हिस्से पर काबिज हैं और खेती करते चले आ रहे हैं। वादीगण का कोई कब्जा नहीं है। प्रतिवादीगण ने पुरानी एवं नई खतौनी की नकलें पहले ही दाखिल कर दी हैं। इस शपथ–पत्र के साथ फेहरिस्त कागजात के साथ खसरे की नकल दाखिल कर रहा है। वादीगण विवादित खेत में सह–खातेदार नहीं हैं इसलिए उन्हें बैनामा खारिज करने का वाद दायर करने का कोई अधिकार नहीं है। वादीगण का उक्त खेत में कोई हित न होने के कारण उन्हें स्थाई या अस्थाई व्यादेश प्राप्त करने का भी विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है।

वादीगण की ओर से अपने कथनों के समर्थन में फेहरिस्त कागज सं. 9ग/1 से प्रमाणित नकल जो0च0 आकार पत्र 45 खाता सं. 20 कागज सं. 9ग/2 ता 9ग/7, खतौनी कागज सं. 9ग/8 ता 9ग/9, प्रमाणित नकल बैनामा दिनांकित 25.03.2022 कागज सं. 9ग/10 ता 9ग/17, उद्धरण खतौनी कागज सं. 9ग/18, जन सुनवाई से सम्बंधित प्रपत्र कागज सं. 9ग/19 ता 9ग/20, छाया प्रतियां आधार कार्ड कागज सं. 9ग/21 ता 9ग/52, फेहरिस्त कागज सं. 14ग/1 से उपजिलाधिकारी, बीसलपुर को सम्बोधित प्रार्थना–पत्र व पंजीकृत डाक की असल रसीद कागज सं. 14ग/2 ता 14ग/3, जिलाधिकारी, पीलीभीत को सम्बोधित प्रार्थना–पत्र मय असल पंजीकृत डाक रसीद कागज सं. 14ग/4 ता 14ग/5, पुलिस अधीक्षक,पीलीभीत को सम्बोधित प्रार्थना–पत्र मय असल पंजीकृत डाक रसीद कागज सं. 14ग/6 ता 14ग/7, आयुक्त बरेली मण्डल बरेली को सम्बोधित प्रार्थना–पत्र मय असल पंजीकृत डाक रसीद कागज सं. 14ग/8 ता 14ग/9, मा0 मुख्य मंत्री उ0प्र0 सराकर लखनऊ को सम्बोधित प्रार्थना–पत्र मय असल पंजीकृत डाक रसीद कागज सं. 14ग/10 ता 14ग/11 तथा फेहरिस्त दिनांकित 11.01.2023 से छाया प्रतियां मिसल तलबी व वाद पुर्नजीवित कराने का प्रार्थना–पत्र दाखिल किया गया है।

प्रतिवादीगण की ओर से अपने कथनों के समर्थन में फेहरिस्त कागज सं. 22ग/1 से छाया प्रति खतौनी जैड0ए0 कागज सं. 22ग/2 ता 22ग/3, छाया प्रति खतौनी कागज सं. 22ग/4, उद्धरण खतौनी की सत्य प्रतिलिपि एवं फेहरिस्त कागज सं. 27ग से फर्द खसरा कागज सं. 28ग को दाखिल किया गया है।

मेरे द्वारा पत्रावली व उसपर उपलब्ध समस्त प्रेलेखों का सम्यक परिशीलन किया गया । साथ ही उभय पक्ष की ओर से माननीय उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय की प्रस्तुत विधि व्यवस्थाओं का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया गया।

अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष साम्यिक एवं विवेकीय अनुतोष है। इसकी मांग करने वाले पक्षकार को स्वयं स्वच्छ हाथों से न्यायालय के समक्ष अपना प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति साबित करना होता है।

प्रथम दृष्टया मामला स्थापित करने के संदर्भ में वादीगण द्वारा कथन किया गया है कि वादीगण व प्रतिवादी सं0 3 लगायत 9 खतौनी खाता संख्या 258 गाटा संख्या 475 रक्वा 1.50 एकड़ यानि 0.6070 हे० स्थित ग्राम अमखेड़ा लखनऊ, परगना तहसील बीसलपुर, जिला पीलीभीत, जिसकी चौहद्दी मुताबिक नक्शानजरी वादपत्र पूरब में तालाब, पश्चिम में बाग बाबूराम आदि, उत्तर में खेत मोहन लाल आदि एवं दक्षिण में खेत वीरेन्द्र प्रसाद आदि है, के 4/5 अंश के संक्रमणीय भूमिधर/सह–खातेदार स्वामी व अध्यासित हैं । विवादित सम्पत्ति पर कई प्रकार के पेड़ों को भी लगाया गया है तथा धान व गन्ना की फसल मौजूद है। विवादित सम्पत्ति पर प्रतिवादी सं. 1 का 1/5 अंश है जिसपर उसका कभी कब्जा नहीं रहा। विकास सक्सेना के 1/5 अंश पर प्रतिवादी नं0 3 लगायत 9 का कब्जा रहा है व वर्तमान में भी है। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा उक्त गाटा संख्या से 1/3 भाग प्रतिवादी सं. 2 को विधि विरूद्ध ढंग से दिनांक 25.03.2022 को विक्रय कर दिया गया है जो कि अधिकार व कब्जा विहीन, कूटरचित व शून्य प्रभावी अवैध दस्तावेज है जिसके आधार पर प्रतिवादी सं. 2 को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। दिनांक 30.10.2022 को प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि पर आये और एक राय होकर वादीगण के अध्यासन वाले अंश से वादीगण को बेदखल कर नाजायज कब्जा करने का प्रयास करने लगे। प्रतिवादी सं. 3 लगायत 9 भी प्रतिवादी सं. 1 व 2 का सहयोग कर वीगण को बेदखल करना चाहते हैं जिसका उन्हें कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। यदि प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि पर नाजायज कब्जा कर लिया गया तो वादीगण को निहायत हकतल्फी व अपूर्णनीय क्षति होगी।

प्रतिवादीगण के द्वारा उक्त कथनों के विपरीत आपत्ति करते हुए कहा गया है कि वादीगण वादग्रस्त गाटा संख्या के संक्रमणीय भूमिधर व सह–खातेदार नहीं हैं, न ही उनका उक्त भूमि पर कोई कब्जा है अपितु वादीगण व उनके पूर्वजों के नाम परगनाधिकारी, बीसलपुर के आदेश दिनांक 20.05.1980 से निरस्त करके उनके स्थान पर प्रतिवादी सं. 1 के पिता कामता प्रसाद पुत्र दर्शन लाल का नाम दर्ज कर दिया गया है और कामता प्रसाद की मृत्यु के पश्चात बतौर वारिस प्रतिवादी सं. 1 विकास सक्सेना का नाम माल कागजात में दर्ज हो गया उसमें से प्रतिवादी सं. 1 ने अपने हिस्से 1/3 भाग का प्रतिवादी सं. 2 के पक्ष में बैनामा कर दिया और वरवक्त बैनामा से प्रतिवादी सं. 2 उसका मालिक व काबिज है। वादीगण के नाम लगभग 42 वर्ष पूर्व से गाटा सं. 475 से निरस्त कर दिये गये हैं और वर्तमान में उनका कब्जा भी संदर्भित गाटा संख्या पर नहीं है। वादीगण को प्रतिवादीगण के स्वामित्व, कब्जे व अधिकारों में हस्तक्षेप करने का कोई हक नहीं है। कागजात माल में प्रतिवादीगण का नाम श्रेणी 1क के संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है और वह उक्त खेत पर काबिज हैं तथा खेती करते चले आ रहे हैं।

वादीगण की ओर से अपने कथनों के समर्थन में फेहरिस्त कागज सं. 9ग/1 से जो उद्धरण खतौनी कागज सं. 9ग/18 दाखिल की गयी है उसके अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वर्तमान में वादीगण का नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में माल कागजात पर दर्ज नहीं है अपितु प्रतिवादीगण के नाम, प्रतिवादीगण द्वारा फेहरिस्त कागज सं. 21ग/1 से दाखिल प्रपत्र कागज सं. 22ग/2 ता 22ग/24 एवं फेहरिस्त कागज सं. 27ग से फर्द खसरा कागज सं. 28ग में संक्रमणीय भूमिधर के रूप में अंकित हैं। वादीगण का यह स्वीकृत कथन है कि प्रतिवादी सं. 1 के पिता ने विवादित गाटा संख्या का विभाजन कराने हेतु राजस्व वाद सं. 74/68 कामता प्रसाद आदि बनाम जगदम्बा प्रसाद अंतर्गत धारा 176 व 178 जमीदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम योजित किया थाि जो दिनांक 26.10.68 को अदम पैरवी में खारिज हो गया। तत्पश्चात प्रतिवादी सं. 1 के पिता कामता प्रसाद ने वाद सं. 39/69 एवं 10/72 निर्णीत दिनांक 20.05.1980 अंतर्गत धारा 176 व 178 जमीदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम योजित किया जिसमें विवादित भूमि का विभाजन न कराकर विधि विरूद्ध ढंग से अपने हक में नीलामी कराकर वादीगण के नाम निरस्त करा दिये और उक्त नीलामी को प्रतिवादीगण अब तक छिपाये रहे हैं। वादग्रस्त भूमि का कब्जा वादीगण को हस्तगत नहीं हुआ। ''असल में विवादित भूमि का कोई कानूनी विभाजन नहीं हुआ तथा वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 3 ता 9 वादग्रस्त सम्पत्ति पर अध्यासित हैं। वादीगण आदेश दिनांक 20.05.1980 को अपास्त कराने हेतु उचित कार्यवाही भी करेंगें।'', वादीगण की उक्त स्वीकारोक्ति से यह स्पष्ट है कि वर्तमान में वादीगण के नाम माल कागजात में दर्ज नहीं हैं। इसके अतिरिक्त ऐसा अन्य कोई प्रपत्र वादीगण की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह स्पष्ट होता हो कि वादीगण प्रश्नगत सम्पत्ति पर अध्यासन में हैं। प्रतिवादीगण सं. 3 लगायत 9 तो वादीगण के कथनानुसार ही प्रश्नगत सम्पत्ति पर अध्यासन में हैं एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम खसरा खतौनी में संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज हैं जिससे प्रतिवादीगण की आपत्ति को बल प्राप्त होता है। अतएव वादीगण प्रथम दृष्टया मामला अपने पक्ष में स्थापित करने में विफल रहे हैं।

जहां तक सुविधा के संतुलन का प्रश्न है। चूॅकि वादीगण का प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है इसलिए सुविधा की तुला भी वादीगण के पक्ष में नहीं है और न ही वादीगण को किसी प्रकार की कोई अपूर्णनीय क्षति होने की सम्भावना है।

उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर यह स्पष्ट है कि वादीगण का न तो प्रथम दृष्टया मामला बनता है और न ही सुविधा की तुला वादीगण के पक्ष

में है इसलिए वादीगण को किसी प्रकार की कोई अपूर्णनीय क्षति होने की सम्भावना भी नहीं है। अतएव वादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र कागज सं. 6ग निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

वादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र कागज सं. 6ग निरस्त किया जाता है।

पत्रावली वास्ते जवाबुलजवाब/विरचन वाद बिन्दु दिनांक 02.03.2023 का पेश हो।

(पूजा गुप्ता)
सिविल जज (सीनियर डिवीजन)
पीलीभीत।
21.01.2023